ायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजु शर्मा ,आर.ए.एस.

रण संख्या– 17 / 2021 प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2021

अनवान

1. चांदमल पिता माधुलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
2. देवीलाल पिता माधुलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवलाल पिता किशनलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
2. नंदलाल पिता माधु ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
3. घीसीबाई पत्नि कजोड ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
4. नानालाल पिता कजोड ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
5. बाबुलाल पिता कजोड ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
6. लीला बाई पुत्री कजोड ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
7. गोवर्धन पिता डालचंद ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
8. नर्वदा पत्नि डालचंद ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
9. रामेश्वर पिता डालचंद ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
10. लक्ष्मीलाल पिता डालचंद ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
11. कचरूमल पिता मगनीराम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
12. गीता पत्नि प्रेम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर -
13. भगवती बाई पत्नि बालमुकंद ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
14. मांगीलाल पिता बालमुकंद ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
15. मोहनी पुत्री बालमुकंद ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
16. राहुल पिता प्रेम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
17. श्यामलाल पिता बालमुकंद ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
18. सुरेश पिता बालमुकंद ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर
19. सोरम पुत्री बालमुकंद ब्रा
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला [illegible] (राज)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:47 IST
Reason: SelfAttested

.........विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

उपस्थित– श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थीगण

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का किया –

कि मौजा उपरेडा, पटवार हल्का खोडिप तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 57 में अंकित आराजी नम्बर 270 रकबा 0.90 हैक्टेयर, आ.नं. 303 रकबा 1.00 हैक्टेयर, आ.नं. 328 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.21 हैक्टेयर आराजीयात प्रार्थीगण गण की संयुक्त रूप से दर्ज खातेदारी स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2076 एवं नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र है।प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में निहित अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा इस पर आने जाने, कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये पास ही स्थित विपक्षी सं0 1 की आ0नं0 252 रकबा 0.43 हैक्टेयर, आ0नं0 260 रकबा 0.19 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 2 की आ0नं0 255 रकबा 1.07 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 07 से विपक्षी सं0 3 से लगायत 6 की आ0नं0 255 रकबा 1.07 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 11 की आ0नं0 256 लगायत 10 तक की आ0नं0 258 रकबा 0.29 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 11 की आ0नं0 256 रकबा 0.28 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 12 से लगायत 19 की आ0नं0 259 रकबा 0.14 हैक्टेयर कृषि भूमि की मेड पर बने कदीमी रास्ते से होकर आते जाते है और इसी रास्ते से अपनी आराजीयात पर बेलगाडी,कृषि उपकरण आदि लाती ले जाते रहे है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास उक्त आराजीयात पर जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। लेकिन नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को उनकी आराजीयात पर आने जाने से रोक दिया है तथा प्रार्थीगण द्वारा इस रास्ते से गुजरने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है प्रार्थीगण के पास विपक्षीगण की आराजी के कदीमी रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता अपनी आराजीयात पर आने जाने का नहीं है और प्रार्थीगण का अपनी आराजीयात पर जाकर कृषि कार्य करना कठिन हो रहा है। प्रार्थीगण की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिए उक्त ... अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिये विपक्षी सं0 1 की आ0नं0 ... विपक्षी सं0 2 की आ0नं0 252 रकबा 0.43 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 3 से लगायत 6 की आ0नं0 255 रकबा 1.

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
...देसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

07 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 07 से लगायत 10 तक की आ0नं0 258 रकबा 0.29 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 11 की आ0नं0 256 रकबा 0.28 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 12 से लगायत 19 की आ0नं0 259 रकबा 0.14 हैक्टेयर कृषि भूमि की मेड पर बने कदीमी रास्ते को आराजी नं0 अंकित कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता कायमी हेतु पेश है।प्रार्थीगण सरकारी मापदण्डानुसार डीएलसी दर से रास्ते की भूमि की कीमत अदा करने को तेयार एवं तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खाता संख्या 57 में अंकित आराजी नम्बर 270 रकबा 0.90 हैक्टेयर, आ.नं. 303 रकबा 1.00 हैक्टेयर, आ.नं. 328 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.21 हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षी सं0 1 की आ0नं0 260 रकबा 0.19 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 2 की आ0नं0 252 रकबा 0.43 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 3 से लगायत 6 की आ0नं0 255 रकबा 1.07 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 07 से लगायत 10 तक की आ0नं0 258 रकबा 0.29 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 11 की आ0नं0 256 रकबा 0.28 हैक्टेयर, विपक्षी सं0 12 से लगायत 19 की आ0नं0 259 रकबा 0.14 हैक्टेयर कृषि भूमि की मेड पर बने कदीमी रास्ते की भूमि के आराजी नम्बर अंकित कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। पैरोकार सरकार व कमीशनर तहसीलदार भदेसर द्वारा मौका कमीशनरी रिपोर्ट तैयार कर अपने पत्र संख्या राजस्व/2021/936 दिनांक 09.12.21 से प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है :-

1. गांव से रिकार्डेड रास्ता पूर्व से पश्चिम गुजरता है जहां से खातेदारी आ0नं0 252,255,256,258,259 एवं 260 की पूर्वी मेड पर होकर आते जाते थे किंतु पिछले 2 वर्षों से विवाद कर बंद कर दिया है।
2. प्रार्थीगण की आराजीयात के मौके पर वास्तविक [illegible] की व्यवस्था नहीं है।
3. अन्य कोई रास्ता एवं वैकल्पिक व्यवस्था [illegible]
4. प्रार्थीगण अपनी अराजीयात में आवागमन हेतु आराजी नं0 393 एवं 399 की मेड के सहारे स्थित भूमि का उपयोग करती चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

5. ग्राम उपरेडा की आराजी नम्बर 252 में से 4*62.5=250 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 255 में से 4*100=400 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 256 में से 4*25=100 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 258 में से 4*37.5=150 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 259 में से 4*12.5=50 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 260 में से 4*12.5=50 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता रहेगी। उपरोक्त सभी वर्णित आराजी में से 04 मीटर चोडाई का रास्ता प्रस्तातिव है। प्रार्थीगण की आराजी तक रास्ते में प्रयुक्त होने वाली कुल भूमि 0.10 हैक्टेयर भूमि डी0एल0सी0 की दुगनी दर से जमा कराने पर रास्ता दर्ज किया जाना उचित है ।

बहस सुनी गई। लायक अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु क़दीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 270 रकबा 0.90 हैक्टेयर, आ.नं. 303 रकबा 1.00 हैक्टेयर, आ.नं. 328 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.21 हैक्टेयर पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु मार्ग का अभाव होने से विपक्षीगण की आराजी नम्बर 252,255,256,258,259 एवं 260 की पूर्वी मेड पर होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थीगण आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है ।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिगण की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9 / 20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6 / 2012 / 4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के [illegible] में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात / खेतों पर पहुंच के लिए [illegible] रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है । खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रद्वत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 270, 303, 328 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 252 में से 4*62.5=250 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 255 में से 4*100=400 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 256 में से 4*25=100 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 258 में से 4*37.5=150 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 259 में से 4*12.5=50 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 260 में से 4*12.5=50 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड पर प्रार्थीगण की आराजी तक कुल 0.10 हैक्टैयर भूमि का रास्ते हेतु उपयोग होना तहसीलदार भदेसर द्वारा कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम उपरेडा पटवार हल्का खोडिप की आराजी नम्बर 270 रकबा 0.90 हैक्टेयर, आ.नं. 303 रकबा 1.00 हैक्टेयर, आ.नं. 328 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.21 हैक्टेयर भूमि पर रेकोर्डेड मार्ग नहीं होकर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की विपक्षीगण की आराजी नम्बर 252 में से 4*62.5=250 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 255 में से 4*100=400 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 256 में से 4*25=100 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 258 में से 4*37.5=150 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 259 में से 4*12.5=50 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 260 में से 4*12.5=50 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड के सहारे 4 मीटर चोडा रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात तक भूमि तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट अनुसार अलग की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । वर्तमान प्रचलित बाजार (रूपये प्रति रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि एयर से)कीमत मूल्याकंन की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्ध खातेदारान् को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा।

रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थीगण का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार (रूपये प्रति एयर से)कीमत मूल्याकंन की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति हेतु वसूल किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner